न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 8 / 2008

बउनवान

1. गीता बाई पत्नि श्री प्रभूलाल
2. राधा बाई पत्नि श्री रघुनाथ
3. सन्तोष बाई पुत्री नन्दकिशोर जातिगण मालव धाकड निवासीगण अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) **(प्रार्थीगण)**

बनाम

1. एन.टी.पी.सी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) जर्ये प्रबन्धक एन.टी.पी.सी. अन्ता जिला बारां (राज0)
2. उप प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) एन.टी.पी.सी. अन्ता
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी (एन.टी.पी.सी.) अन्ता चंबल परियोजना नवीन भवन जिलाधीश कार्यालय कोटा, जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)**(अप्रार्थीगण)**

<u>रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–18 भमि अवाप्ति अधिनियम</u>

उपस्थिति :– 1.श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**
2. श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

<u>आदेश दिनांक– 11.01.2023</u>

प्रार्थीगण ने जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माल चक शाहबाद तहसील अन्ता में आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से पर खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 1 को अपना प्रोजेक्ट एन.टी.पी.सी. स्थापित करने के लिए प्रार्थिया की उक्त वर्णित भूमि की आवश्यकता हुई तथा सन् 1986 में अन्य भूमियों के साथ जर्ये अधिसूचना अप्रार्थीगण ने प्रार्थीयागण की भूमि भी अवाप्त कर ली तथा जर्ये नोटिस दिनांक 17.04.1989 प्रार्थीयागण को सूचना प्रेषित कर दी कि खसरा नंबर 35 अवाप्त कर ली गई है। वक्त अधिग्रहण राजस्व रेकार्ड में अधिग्रहित भूमि पर रघुनाथ का नाम दर्ज था जिनका स्वर्गवास दिनांक 17.04.1989 से पूर्व हो चुका था। उक्त भूमि रघुनाथ की खातेदारी की थी, गट्टू बाई पत्नि मूलीलाल ने रघुनाथ की खातेदारी को गलत बताकर विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु अधिग्रहण से पूर्व [illegible] राजस्व विभाग न्यायालय एस.डी.ओ. बारां में वाद संख्या 144/89 वाद अन्तर्गत धारा [illegible] राज. टि एक्ट गट्टू बाई बनाम गोमदी बैवा रघुनाथ पेश किया हुआ था [illegible] 2001 को हो चुका है, उक्त वाद के लम्बन के दौरान न्यायालय से अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने बाबत प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन जारी था। न्यायालय ने उक्त वाद का निर्णय दिनांक [illegible] 2001 को करते हुए अधिग्रहित भूमि खसरा नंबर 35 पर प्रार्थीया की 1/2 तथा गट्टू बाई की 1/2 खातेदारी स्वीकार की इससे दोनो पक्ष सन्तुष्ट हुए तथा इस आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

नही की। आराजी खसरा नंबर 35 निर्विवाद रूप से न्यायालय के आदेश से गट्टूबाई तथा प्रार्थीयागण को समान रूप से 1/2–1/2 प्राप्त हुई तथा इसी अनुसार अपने खातेदारी अधिकार रखते है तथा इसी अनुसार अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। अधिग्रहित भूमि सिंचित है, अधिग्रहित भूमि का मुआवजा असिंचित भूमि की दर से तय किया है, जो सर्वथा गलत है। प्रार्थिया अधिग्रहित भूमि का सिंचित की दर से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मात्र 6000 /– रूपये प्रतिबीघा की दर से तय किया है जो नगण्य है। अधिग्रहित भूमि की वर्तमान बाजार दर एक लाख रूपये प्रतिबीघा से कम नही है, वक्त अधिग्रहण भी अधिग्रहित भूमि पर्याप्त पानी, अत्याधिक उपजाऊ चंबल की दांई नहर से सिंचित होने से तथा सड़क से लगवा होने से आबादी विस्तार होने से उपयोगी होने से भारी कीमत रखती है। प्रार्थीयागण एक लाख रूपया प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि प्रापत करने का अधिकार रखती है। अप्रार्थीगण ने पश्चात्वर्ती अधिग्रहण में 70,000/– रूपये प्रतिबीघा तथा परिवार के एक सदस्य को रोजगार अतिरिक्त दिया है, प्रार्थियागण भी तद्नुसार मुआवजे का क्लेम करती है। प्रार्थियागण के आवेदन दिनांक 14.03.2002 रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.08.2002 की सर्वथा अनुदेखी हुई है। अप्रार्थीगण ने बिना मुआवजा राशि का भुगतान किये ही जर्ये इन्तकाल नंबर 116 दिनांक 31.05.2002 से एन.टी.पी.सी अन्ता के नाम दर्ज करवाली है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थियागण ने अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सक्षम आवेदन अप्रार्थी संख्या 3 को प्रस्तुत किया जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया परन्तु मन माने तरीके से आदेश दिनांक 17.02.2007 से प्रार्थियागण का आवेदन क्षेत्राधिकार के अभाव में अस्वीकार करते हुए कार्यवाही ड्रोप कर दी। एस.डी.ओ. बारां ने आदेशिका दिनांक 27.10.2006 से जिला कलक्टर, बारां से मार्गदर्शन चाहा था, परन्तु बिना मार्गदर्शन के ही पत्रावली एक तरफा ड्रोप कर दी। वक्त अधिग्रहण वर्तमान बारां जिला कोटा जिले का अंग था। एन.टी.पी.सी अन्ता के लिए अधिग्रहण मुआवजा आदि की पश्चावर्ती सभी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा सम्पादित की गई है। अधिग्रहित भूमि खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 1.16 है. माल चक शाहाबाद अन्ता सिंचित एवं उपजाऊ है, आबादी एवं सडक से लगी हुई है। यही भूमि प्रार्थिया की एवं उनके परिवार की आजिविका का एक मात्र आधार है। वक्त अधिग्रहण अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य 70,000/– रूपया प्रतिबिघा तथा वर्तमान में एक लाख रूपया प्रतिबीघा से अधिक है। प्रार्थियागण दीवानी अदालत से अधिग्रहण राशि निर्धारित करवाने हेतु प्रकरण को न्यायालय जिला जजी बारां को भिजवाए जाने (रेफर) करने की प्रार्थना करती है। प्रार्थियागण ने अधिग्रहित भूमि की राशि प्राप्त नही की है। प्रार्थियागण ने इस न्यायालय में अथवा अन्य किसी न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत नही की है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थियागण की अधिग्रहित भूमि अवार्ड संख्या ए.एन.जी./पी.पी./ए. एण्ड एन./3049 दिनांक 17.04.1989 बाबत् खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 1.16 है. बाबत तय मुआवजा को न्यायोचित निर्धारण हेतु अन्तर्गत धारा 18 भूमि अवाप्त अधिनियम जिला जजी बारां को भिजवाए जाकर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा एक लाख रूपया प्रतिबीघा सहित परिवार के एक सदस्य को सुनिश्चित रोजगार दिलवाये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर निबंधित दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि विवादित वर्णित कृषि भूमि एन.टी.पी.सी. अन्ता के खाते में दर्ज है। सन् 1986 में राजस्थान सरकार ने भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत एन.टी.पी.सी की एक इकाई प्रस्थापित करने के लिए धारा 4 भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत

अधिसूचना राजस्थान सरकार के राजपत्र में जारी की थी, प्रार्थियागण का यह कथन असत्य है कि उक्त भूमि अवाप्त किए जाने हेतु प्रार्थियागण को अलग से कोई सूचना प्रेषित की हो। अप्रार्थीगण/उत्तरदाता की ओर से भी भूमि अवाप्ति के संबंध में कोई सूचना भू–धारी को प्रेषित नही की जाती है। विवादित भूमि राजस्थान सरकार द्वारा धारा 4 भूमि अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करते समय तथाकथित विवादित भूमि रघुनाथ की खातेदारी में दर्ज थी। यह प्रामाणित करने का दायित्व प्रार्थियागण का है कि न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.03.2001 अन्तिम निर्णय है, जिसमें प्रार्थियागण को विवादित भूमि का खातेदार कृषक मान लिया जाना बताया गया है। अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार भूमि अवाप्ति अधिकारी तय करता है। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 भूमि अवाप्ति अधिनियम की उद्घोषणा के समय अवाप्त की जाने वाली भूमि के बाजारू मूल्य से भूमि का खातेदार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी होता है और भूमि अवाप्ति अधिकारी ने तत्कालीन बाजारू मूल्य से जो मुआवजा तय किया है, वह विधिवत रीति से तय किया है। वह राशि एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां समय पर ही जमा करवा दी गई थी। अवाप्तशुदा भूमि का वर्तमान बाजारू मूल्य प्राप्त करने का अधिकार भूमिधारी का नही है, बल्कि भूमिधारी धारा 4 भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना की तारीख पर भूमि का जो बाजारू मूल्य था वही मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रार्थियागण ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया है की भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष किसी तिथि को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और न इस बात का कोई स्पष्टीकरण दिया गया कि जब प्रार्थियागण का अवाप्तशुदा भूमि में हिस्सा होने का तथ्य न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2001 को स्वीकार कर लिया गया था तब इन्होने पहली बार कब भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष मुआवजा दिलाए जाने की प्रार्थना की। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किसको अदा किया गया है या किस को अदा नही किया गया, इसका उत्तर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिया जाना ही अपेक्षित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विवादित भूमि से संबंधित एवार्ड दिनांक 17.04.1989 को पारित किया गया था। उक्त आदेश पारित होने के 6 माह के अंदर अंदर एवार्ड को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ दफा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। चूंकि यह कार्यवाही अंदर मियाद प्रस्तुत नही हुई है। इसलिए निरस्त योग्य है। प्रार्थियागण के अनुसार रेवेन्यू कोर्ट द्वारा यह स्थगन आदेश जारी किया गया था कि भूमि अवाप्ति अधिकारी विवादित कृषि भूमि का मुआवजा मुकदमे के अन्तिम निर्णय तक किसी को अदा नही किया जाए। रेवेन्यू कोर्ट द्वारा प्रार्थियागण का क्लेम दिनांक 28.03.2001 को स्वीकार किया जाना बताया गया है। परन्तु प्रार्थियागण ने अपने पक्ष में पारित निर्णय के बाद मुआवजा दिलाए जाने की कोई प्रार्थना भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष नही की गई है। प्रार्थियागण को भूमि अवाप्ति अधिकारी ने जो मुआवजा तय किया है, वह यदि भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां जमा है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थियागण को भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष ही प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। प्रार्थिया को यह जानकारी थी कि विवादित कृषि भूमि को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने हेतु राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी क[illegible]तो प्रार्थियागण का यह कर्त्तव्य था कि वे भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र [illegible] कार्यवाही में भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत अपनी आपत्तिंया प्र[illegible] अपनी आपत्तियां भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करती परन्तु उन्होंने भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान इस प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की। उनका निवेदन [illegible]जस्व न्यायालय में सिर्फ यह था कि भूमि का एवार्ड के तहत दिए जाने वाला मुआवजा तत्सयम अंकित खातेदार रघुनाथ को अदा नही किया जाए और न उस एवार्ड के विरूद्ध रघुनाथ और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारीयों

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा तथा प्रार्थियागण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एवार्ड पारित कर देने के बाद कोई रेफरेन्स की कार्यवाही प्रस्तुत की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी का कार्यक्षेत्र अन्तिम एवार्ड जारी कर देने के बाद समाप्त हो जाता है और केवल मात्र भूमि अवाप्ति अधिकारी को एवार्ड राशि का भुगतान सक्षम व्यक्तियों को कराने तक ही सीमित रहता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एवार्ड पारित करने के बाद भूमि के मूल्य के संबंध में जो भी कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, वह व्यर्थ है, अंन्तिम एवार्ड के बाद केवल मात्र धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार ही हितबद्ध व्यक्ति को शेष रहता है, जो प्रार्यियागण ने समयावधि के अंतर्गत जिला कलक्टर के समक्ष कार्यवाही न करके यह स्वीकार कर लिया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो एवार्ड पारित किया गया है, उसके बारे में उन्हे कोई आपत्ति नही है। केवल मात्र मुआवजा राशि के बटवारे के बारे में विवाद शेष होना प्रार्थियागण द्वारा माना गया है। अतः प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीयागण ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि वाके माल चक शाहाबाद में आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा आराजी को सन् 1986 में अन्य भूमियों के साथ जर्ये अधिसूचना द्वारा नोटिस दिनांक 17.04.1989 को प्रार्थियागण को सूचना प्रेषित की कि खसरा नंबर 35 अवाप्त कर ली है। प्रार्थियागण की पैतृक सम्पत्ति के पूर्व खातेदार रघुनाथ पुत्र नाथू के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में धारा 9(1)(3) का एक नोटिस दिनांक 24.04.1986 को रेस्ट हाउस अंता में उपस्थित होने हेतु प्रेषित किया उस नोटिस के पृष्ठभाग पर गजानंद सहना की रिपोर्ट में अंकित किया गया कि रघुनाथ फोत हो गया है तथा उनकी पोती संतोषबाई को तामील करवाने के बाद तामील दिनांक 13.04.1986 को पेश की। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि अधिग्रहण के पूर्व ही खातेदार रघुनाथ की मृत्यु हो चुकी थी। तत्पश्चात दिनांक 17.04.1989 को एनटीपीसी द्वारा दिनांक 17.04.1989 को एक पत्र क्रमांक ए.एन.जी.पी.पी./पावर/3041 द्वारा रघुनाथ पुत्र नाथू के नाम से जारी किया जिसमें चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा को अवाप्त करने की जानकारी की गई तथा उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित किया कि आप स्वंय को या स्वंय के परिवार के सदस्य को रोजगार प्रदान करने हेतु वांछित दस्तावेजों के साथ दिनांक 24.04.1989 को परियोजना कार्यालय में उपस्थित होने हेतु उप प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) अरविन्द जैन द्वारा जारी किया गया। उक्त आराजी के संबंध में हक व हिस्से के निर्धारण हेतु राजस्व प्रकरण विचाराधीन होने से उक्त आराजी का मुआवजा किसी भी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दिया गया। सम्बन्धित मुकदमा संख्या 144/89 का निस्तारण दिनांक 28.03.2001 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने प्रार्थियागण के मध्य 1/2, 1/2 आराजी के हक अधिकार की घोषणा की गई तथा दिनांक 18.12.2003 को विभाजन की डिक्री जारी की गई, जि[illegible] कि प्रार्थीगण चक शाहाबाद तहसील अन्ता की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 [illegible] बिस्वा की आराजी का मुआवजा प्रार्थीगण आधा आधा रखेगे, तत्पश्चात [illegible] साहब बारां के यहां मुआवजा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया [illegible] वर्ष 2004 में दर्ज कर दिनांक 17.12.2007 को सक्षम अधिकारिता का नही होने के कारण [illegible] पत्रावली को ड्रोप कर दिया तथा इसके बाद प्रार्थीगण द्वारा धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम [illegible] कार्यवाही न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में पेश की है। उपरोक्त विवादित आराजियात के जेरकार वाद रहते हुये उपरोक्त आराजी का बिना मुआवजा अदा किये एन.टी.पी.सी. के पक्ष में बिना जांच किये नामांन्तकरण संख्या 116 तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स कार्यवाही के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बारां चक शाहाबाद तहसील अंता की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बीस्वा से संबंधित अवार्ड की पत्रावली तलबी हेतु कई प्रयास के बावजूद भी अवार्ड प्राप्त नही हुआ तथा कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 27.09.2021 को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें वांछनीय रिकार्ड तलाश करने हेतु नायब तहसीलदार श्री हेमन्त बामनिया को भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा के यहां भेजकर रेकार्ड ढूंढा गया लेकिन रेकार्ड वहां जमा नही होना बताया। तथा एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा भी अपने पास उक्त अवार्ड से संबंधित कोई जानकारी होना नही बताया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि का अवार्ड बना ही नही तथा बिना अवार्ड पारित किये ही प्रार्थीयागण की आराजी का अधिग्रहण कर लिया जिससे प्रार्थीगण के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन हुआ है। जेरकार पत्रावली के पेज नंबर 259 पर पत्रांक 240 दिनांक 12.04.1988 से धारा 6 व 17(4) की लिस्ट मांगी गई जिसमें जिन खातेदारों की भूमि ली गई थी ओर एक सूची मांगी गई जिन खातेदारों का देहान्त हो चुका है तथा उनको मुआवजा प्राप्त हो गया है उक्त लिस्ट में तत्कालीन खातेदार रघुनाथ का नाम मृतक व्यक्तियों की सूची में शामिल नही किया तथा पत्रावली के पेज नंबर 263 पर दिनांक 21.05.1988 को एन.टी.पी.सी. द्वारा खसरा नंबर व व्यक्तियों के नाम की सूची प्रमाणीकरण के लिये मांगी गई जिसमें चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का ना तो मुआवजा बताया ओर न ही अवार्ड नंबर का उल्लेख किया गया इसी प्रकार पेज नंबर 277 दिनांक 18.07.1988 के पत्र में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि स्थगन व रेफरेन्स व जेरकार वाद से संबंधित राशि की मांग भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एन.टी.पी.सी. से नही की गई है तथा उक्त प्रकरणों के निस्तारण होने के पश्चात विवादित आराजियात की राशि की मांग की जावेगी। इस प्रकार न तो चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का कोई अवार्ड पारित हुआ और न ही उसका मुआवजा दिया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी संबंधित व्यक्तियों को अधिग्रहण से संबंधित आपत्ति हेतु नोटिस जारी करेगा, प्रस्तुत प्रकरण में धारा 6 का जो नोटिस रघुनाथ पुत्र नाथू को जारी किया गया था उसके पृष्ठ भाग पर दिनांक 13.04.1986 पर स्पष्ट रूप से रघुनाथ के फोत होने का अंकन किया गया था उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मृतक व्यक्ति को ही धारा 9 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जो विधि विरूद्ध जारी किया गया। तत्पश्चात धारा 11 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलक्टर) समस्त पक्षकारों को आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा उसका निस्तारण करने के बाद अवार्ड जारी करेगा प्रस्तुत प्रकरण में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध समस्त कार्यवाहीयां निष्पादित की गई जो शून्य है। उक्त प्रकरण में कलक्टर/भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत व्यथित पक्षकारों को नही सुना गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात ही अवार्ड जारी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम के समस्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण व मूल्यावान साम्पत्तिक अधिकारों का हनन किया गया है, तथा उक्त अधिग्रहण में [illegible] अनियमितताये स्पष्ट रूप से परलक्षित है जिसके निर्धारण हेतु उपरोक्त प्रकरण [illegible] न्यायाधीश महोदय बारां के यहां रेफरेन्स करने का आदेश फरमाये।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक लिखित बहस का जवाब इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थीया ने दिनांक 28.05.2007 या उसके आस पास कार्यवाही माननीय जिला जज साहब बारां के यहां Refer कराने हेतु पेश की है। प्रार्थीयागण की अधिग्रहित भूमि अवार्ड दिनांक 17.04.1989 बाबत खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 1.16 है. बाबत मुआवजा निर्धारित को न्यायोचित निर्धारण हेतु जिला जज साहब बारां को भिजवाया जावे। Refer किया जावे। अधिग्रहित भूमि का एक लाख रूपया प्रतिबीघा निर्धारित किया जावे व परिवार के सदस्य को रोजगार दिलाया जावे। प्रार्थना में यह भी अंकित किया है कि मुआवजा राशि 6000/- रूपये प्रतिबीघा निर्धारित की है, अन्य को 70,000/- रूपये प्रतिबीघा दी है। अवार्ड की सूचना भी प्रार्थीया को दिनांक 17.04.1989 से दिया जाना अंकित किया है। इस प्रार्थना पत्र का जवाब एनटीपीसी अन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया । कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत नही हुई इसलिए Refer नही की जा सकती है। धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम "18(1) Any person interest who has not accepted the award may, by written application to the collector, require that the matter be reffewred by the collector for the determination of the court whether his objection be to the measurment of the land the amount of the compensation the persons to whom it is payble, or the apportionment of the comoensation among the persons interested.

(2) The application shall state the grounds on which objection to thhe award is taken: Provided that every such applicant shall be made-

(a) if the person making it was present or represented before the Collector at the time when he made his awared, within six weeks from the date of the Collector's awared

(b) in other cases within six weeks of the receipt of the notice from the Collector under section 12, sub-section (2) or within six months from the date of the Collector's award whichever period shall first expire"

उक्त प्रावधानों के अनुसार Refer कराने के लिए लिखित में आवेदन अधिकतम अवार्ड की तारीख से 6 माह के अन्दर अन्दर पेश किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अवार्ड दिनांक 17.04.1989 को Refer कराने के लिए दिनांक 28.05.2007 या उसके आस पास लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अवधि मध्य पेश नही किया गया है। अवधि मध्य कार्यवाही पेश नही होने पर कलक्टर साहब को Refer करने का अधिकार नही है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1996 DNJ S.C. 88 प्रस्तुत है।

Land Acquisition Act, 1894-Secs. 4,6&11- Power of courts under- Power to condone delay in filing reference against award-Award made in presence of parties.- Reference made after expiry of prescribed 6 weeks limitation- High Court condoned the delay constructing the Acquisition Officer as Court under the code of Civil procedure- Whether justified? -Held, No, the authority acting as Acquisiton officer cannot be constructed as Court as such provision of limitation Act cannot be applied while making referrence.

Land Acquisition Act, 1894- Secs. 18(1)- Provision and 29(2) and Limitation Act-Secs.5- Powers of Collector for extending period of limitation- while exercising Powers u/s 18(1) Whether delay can be condoned?- Held, No Since the Authority exercing power u/s. 18(1) is not the court withing the meaning of C.P.C. Sec. 5 Limitation Act cannot be applied for the extension of Limitation.

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

इससे स्पष्ट है कि कार्यवाही यदि अवधि मध्य प्रस्तुत नही हुई हो तो Refer नही की जा सकती है। इस कार्यवाही को करते समय जिला कलक्टर को कोर्ट के अधिकार नहीं होते है। धारा 5 भी लागू नहीं होती है। इसलिए यह कार्यवाही मियाद मे पेश नही होने से खारिज होने योग्य है। इस कार्यवाही मे लिखित बहस मे अवार्ड की वैद्यानिकता या अवार्ड जारी न होने बाबत जो भी आपत्तियां उठाई गई है वे सभी का निर्धारण करने का अधिकार कलक्टर को नहीं है। एनटीपीसी लिखित बहस मे उठाई सभी आपत्तियों को स्वीकार करती है। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा अवार्ड जारी होने की सूचना प्रार्थीया को दिनांक 17.04.1989 को देना अंकित है। प्रार्थीया द्वारा अवार्ड राशि का भुगतान राजस्व वाद क्रमांक 144/89 गट्टूबाई बनाम गोमदी में स्टे कराना भी अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अवार्ड जारी होने की जानकारी थी। यदि अवार्ड राशि का भुगतान प्रार्थीया को प्राप्त नही हुआ हो तो वह भूमि अवाप्ति अधिकारी को मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त कर सकती थी। एनटीपीसी से सीधा भुगतान विधिनुसार प्राप्त नहीं किया जा सकता। एनटीपीसी अन्ता द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जब भी मुआवजा मांगा गया, जमा किया है। एनटीपीसी के लिये 707 बीघा 17 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की गई है जिसमें अन्ता की 68 बीघा 11 बिस्वा, चक शाहाबाद की 116 बीघा 17 बिस्वा, तामखेडा की 45 बीघा व ग्राम रातडिया की 477 बीघा 17 बिस्वा है। अधिगृहण की कार्यवाही पहले भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल प्रोजेक्ट कोटा के यहां चली तथा बारां जिला बनने के बाद एस0डी0ओ0 बारां के यहां चली है। यह कहना कि भूमि का रिकार्ड संबंधित अधिकारी को नही मिला, जिसके आधार पर यह मान लिया जावे कि भूमि अधिग्रहण नही हुई है गलत है क्योंकि 707 बीघा भूमि के अवाप्ति का रिकार्ड नहीं बना हो संभव नहीं है। राशि जो भूमि अवाप्ति अधिकारी एनटीपीसी मांगते थे व एनटीपीसी द्वारा जमा की जाती थी, उसका अंकन भूमि अवाप्ति अधिकारी की केश बुक मे हुआ होगा। धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही तभी होगी जब अवार्ड बना हो। भूमि अवाप्ति के लिए नियमानुसार धारा 4 व 6 के गजट नोटिफिकेशन मे शाया हुए है। निर्धारित प्रक्रिया की पालना की जाकर अवार्ड धारा 11 व 12 मे पारित किया गया है तथा धारा 16 में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा व कब्जा लिया गया व भूमि एनटीपीसी को दी है जिसका एनटीपीसी के हक मे इंतकाल खुला है। धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत यदि कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत हो तभी जिला कलक्टर द्वारा धारा 18 मे अंकित आपत्तियां भूमि नाप, मुआवजा व मुआवजा राशि का भुगतान किसे किया जावे तथा मुआवजा राशि का विभाजन कैसे किया जावे इस बाबत interested person द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निर्धारण कराने के लिए रेफर जिला जज साहब को की जा सकती है। जिला कलक्टर को इस कार्यवाही मे अवार्ड की वैद्यानिकता या अवार्ड जारी होने की प्रक्रिया की कमी का निर्धारण करने की अधिकारिता नही है। जिसके लिए प्रार्थीया को पृथक से दावा या अन्य कार्यवाही करनी चाहिए। अवार्ड नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया कर जारी किया गया है। कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत नही होने से खारिज [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थियागण ने प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थियागण के पिता के खाते की आराजी ग्राम चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के अधिग्रहण की सूचना जये नोटिस दिनांक 17.04.1989 प्रेषित कर उस पर अंकित तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट "रघुनाथ फोत हो गया है तथा उनकी पोती संतोषबाई को

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

तामील करवाने के बाद तामील पेश है" की अनदेखी कर बगैर भूमि का मुआवजा दिये अवाप्त कर ली। अधिग्रहण से पूर्व ही खातेदार रघुनाथ की मृत्यु हो चुकी थी। दिनांक 17.04.1989 को एनटीपीसी द्वारा पत्र मृतक रघुनाथ पुत्र नाथू के नाम जारी किया गया तथा दिनांक 24.04.1989 को उपस्थित होने के निर्देश दिये। उक्त आराजीयात के संबंध में राजस्व प्रकरण विचाराधीन था जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां ने दिनांक 28.03.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थियागण एवं गटटूबाई के 1/2–1/2 हिस्से में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। नामान्तकरण संख्या 116 से उक्त भूमि एनटीपीसी के खाते दर्ज हो गई थी। प्रकरण में बार बार तलब किये जाने के उपरांत भी मूल अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ। धारा 11 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलक्टर) समस्त पक्षकारों को आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा उसका निस्तारण करने के बाद अवार्ड जारी करेगा प्रस्तुत प्रकरण में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध समस्त कार्यवाहियां निष्पादित की गई जो शून्य है। उक्त प्रकरण में कलक्टर/भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत व्यथित पक्षकारों को नही सुना गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात ही अवार्ड जारी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम के समस्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण व मूल्यवान साम्पत्तिक अधिकारों का हनन किया गया है, तथा उक्त अधिग्रहण में गंभीर कानूनी अनियमितताये स्पष्ट रूप से परलक्षित है जिसके निर्धारण हेतु उपरोक्त प्रकरण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बारां के यहां रेफरेन्स करने का आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रार्थियागण ने The Land Acquisition Act, 1894 की छायाप्रति पेश की।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब रेफरेन्स एवं जवाब लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थियागण का यह कथन नितान्त असत्य है कि अवार्ड जारी नहीं हुआ। प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स कार्यवाही अवार्ड राशि को प्राप्त करने हेतु पेश नहीं की है बल्कि जिला जज को रेफर करने की प्रार्थना की है। प्रार्थियागण ने स्वंय रेफरेन्स में स्वीकार किया है कि मुआवजा 6000/– रूपये प्रतिबीघा तय किया गया जबकि भूमि की कीमत एक लाख रूपये बीघा है, तथा डीएलसी रेट से भुगतान बाबत अंकित किया है। प्रार्थियागण द्वारा मुआवजा बढाने की प्रार्थना की गइ। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 (2) (a) में अवार्ड के विरूद्ध कार्यवाही करने का समय निर्धारित है। प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अवधि बाधित है। यदि अवार्ड गलत था तो प्रोपर टाईम में उचित स्थान पर चुनौती दी जानी चाहिये थी। प्रार्थियागण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद क्रमांक 144/89 बउनवान गट्टूबाई बनाम गोमदीबाई का निर्णय दिनांक 28.03.2001 को होना आवेदन में अंकित किया है तथा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बारां को आवेदन वर्ष 2006 में प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रार्थियागण ने पांच वर्ष से अधिक समय पश्चात अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बारां को आवेदन पेश किया है जो तय समयावधि में पेश नहीं [illegible]। जबकि अवाप्तशुदा भूमि बाबत जानकारी प्रार्थियागण को न्यायालय [illegible] में विचाराधीन वाद के समय ही थी तथा किसी भी पक्षकार को मुआवजा [illegible] बाबत आवेदन तत्समय उपखण्ड अधिकारी बारां को किया जाना स्वयं प्रार्थियागण ने आवेदन में अंकित किया है। अतः प्रार्थियागण का आवेदन निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थीगण ने विधिक दृष्टांत 1996 डीएनजे (एससी) 88 बउनवान द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी व अन्य बनाम शाह मनीलाल चन्दुलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.02.1996 की छायाप्रति पेश की।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थियागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 6000/– रूपये प्रतिबीधा की दर से तय किया जाना बताया है तथा उक्त मुआवजा नगण्य होने से मुआवजे के न्यायोचित निर्धारण हेतु धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जला जज, बारां को रेफर करने की प्रार्थना की है। परन्तु मुआवजा निर्धारण प्रार्थियागण द्वारा किस आधार पर कम माना गया है इसका कोई आधार नहीं बताया है। प्रस्तुत लिखित बहस में प्रार्थियागण के अभिभाषक द्वारा अंकित किया गया कि भूमि का अवार्ड बना ही नहीं तथा बिना अवार्ड ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया, जबकि अपने प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा यह माना गया है कि अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 6000/– रूपये प्रति बीघा की दर से तय की गई थी। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह कथन सही है कि अवार्ड जारी होने के 6 सप्ताह के अन्दर रेफरेन्स प्रार्थियागण को पेश करना चाहिये था जबकि अवार्ड दिनांक 17.04.1989 के पश्चात यह रेफरेन्स 30.05.2007 को 6 वर्ष की अवधि पश्चात पेश किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 1996 डीएनजे (एससी) 88 के अनुसार Land Acquisition Act, 1894- Sec 18(1),18(2) Proviso and 29(2) and Limitation Act- Sec. 5- Powers of Collector for extending period of limitatiion – While excersing Powers u/s. ¼Powers u/s 18(1) is not the Court within the meaning of C.P.C., Sec. 5 Limitation Act cannot be applied for extensión of limitation. यह प्रकरण 6 वर्ष बाद प्रार्थियागण द्वारा पेश किया गया है। अतः delay condon नहीं की जा सकती है। भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 18 (1) के अनुसार Any person interest who has not accepted the award may, by written application to the collector, require that the matter be reffered by the collector for the determination of the court whether his objection be to the measurement of the land, the amount of the compensation the persons to whom it is payble, or the apportionment of the compensation among the persons interested. इस न्यायालय द्वारा अवार्ड की वैधानिकता तथा अवार्ड जारी होने की प्रकिया की कमी का निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थियागण को यदि अवार्ड राशि प्राप्त नही हुई हो तो वह सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां चाराजोही कर सकती हैं।

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested